भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2916
दिनांक 17 मार्च 2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

2916. श्री दिलीप शइकिया:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सहित देश में कार्यपालिका, विधायिका, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय पुलिस सेवाओं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है, यदि हां, तो इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना-कितना है;

(ख) क्या निफ्टी 500 में शामिल कंपनियों के निदेशक मंडल में 95 प्रतिशत कंपनियों में निदेशक मंडल में केवल एक महिला शामिल है और पांच प्रतिशत से कम कंपनियों की अध्यक्ष महिलाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में राजनीति और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के अलावा समाज के सभी स्तरों पर भी महिला सशक्तिकरण नीतियां बनाने और उनकी सामुदायिक स्तर की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग): 2019 के लोकसभा चुनाव में 724 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 78 निर्वाचित हुईं। वर्तमान में, लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं। लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात 15.12% है। यह 2014 के चुनावों की तुलना में काफी अधिक है जब केवल 68 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। इसी तरह, राज्यसभा में 16 मार्च, 2023 तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 है। इसके अलावा, वर्तमान मंत्रिपरिषद में 11 महिला मंत्री हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाए जिसमें सभी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े।

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2011 में निकाली गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या 30,87,278 बताई थी, जिनमें 3,37,439 कर्मचारी महिलाएं थीं। सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ ही, 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश, 180 दिनों का बाल-दत्तकग्रहण अवकाश, विकलांग महिलाओं के लिए विशेष अनुमति और संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए शुल्क के भुगतान से छूट शामिल है।

इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है और लिंग संतुलन में सुधार सहित पुलिस सुधार उपायों को लागू करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्र सरकार पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 33% तक बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी भी जारी करती है। राज्यों को पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए आवास और चिकित्सा सुविधाओं और आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान जैसे कल्याणकारी उपायों को सशक्त बनाने की भी सलाह दी गई है। अब तक, 20 से अधिक राज्यों ने पुलिस बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सरकार ने सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई परिवर्तनकारी कदम भी उठाए हैं जिनमें स्थायी कमीशन देना, महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं और लड़ाकू विमानों/हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की अनुमति देना, एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति और सैनिक स्कूलों में प्रवेश शामिल हैं। इन उपायों से सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

देश में महिला वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र में लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए 'महिला वैज्ञानिक स्कीम' और 'महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (डब्ल्यूआईएसटीईएमएम) में भारत-अमेरिका फेलोशिप' सहित एक अम्ब्रेला स्कीम 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं (वाइज-किरण)' का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। तथापि, मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 21 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना,

त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। शेष राज्यों के संबंध में, अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 46% से अधिक है। राजनीति में नेतृत्व के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रही है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें।

देश में आज 82 लाख से अधिक महिला स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) हैं जिनके 8.5 करोड़ से अधिक परिवार सदस्य हैं। ये महिला एसएचजी न केवल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि देश के सामाजिक परिदृश्य को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

'स्थानीय सरकार' होने के नाते, पंचायत' राज्य का विषय है और संविधान की सातवीं अनुसूची का भाग है। तदनुसार, पंचायत प्रणाली में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित पंचायत से संबंधित सभी मामले संविधान के प्रावधानों के अधीन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होते हैं। तथापि, सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। इस मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम सभा बैठकों से पहले अलग वार्ड सभा और महिला सभा बैठकें आयोजित करने, ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधियों का आवंटन, महिलाओं की तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराइयों से निपटने को सुगम बनाने के लिए भी एडवाइजरी जारी की है।

*****